



Neutral Citation No. - 2026:AHC:163903

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 3694 वर्ष 2026

सैयद तारिक हसन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : वशिष्ठ तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के रूप में उपस्थित श्री शुभम एवं श्री आनंद प्रकाश तिवारी, जो विद्वान अधिवक्ता श्री वशिष्ठ तिवारी की ओर से ब्रीफ धारण किए हुए हैं, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या 875 सन् 2021, धारा 420, 467, 468, 471, 506 भारतीय दंड संहिता, 1860, थाना कोतवाली, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि आवेदक को अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचनादाता के स्वामित्व विलेखों के आधार पर कथित रूप से ऋण स्वीकृत किए जाने के संबंध में वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोप यह है कि सूचनादाता ने वर्ष 2012 में अपनी संपत्ति, अर्थात् प्लॉट संख्या 61, फ्लैट संख्या 301, तृतीय तल, रामनगर, किराया मंडी, गाजियाबाद, पर ऋण लिया था। उक्त ऋण की अदायगी के लिए सूचनादाता ने दिनांक 15.07.2016 को उक्त संपत्ति को लक्षय तंवर को 25 लाख रुपये में बेचने पर सहमति व्यक्त की थी। उक्त संपत्ति को कथित रूप से लक्षय तंवर द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, अर्थात् डी.डी. संख्या 161051, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर आहरित था, देकर खरीदा गया था। उक्त डिमांड ड्राफ्ट स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में जमा किया गया, जहां से संपत्ति पर ऋण लिया गया था और तत्पश्चात संपत्ति के स्वामित्व विलेख जारी कर दिए गए। मूल दस्तावेज कथित रूप से लक्षय तंवर द्वारा इस वचन के साथ ले लिए गए कि वह 12,10,000/- रुपये की अदायगी करेगा। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त विलेखों का उपयोग लाल बहादुर शास्त्री कंप्यूटर सॉल्यूशंस के नाम पर 35 लाख रुपये का फर्जी बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए किया गया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि उक्त फर्जी ऋण आवेदक द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था। उन्होंने अग्रिम जमानत आवेदन के साथ संलग्न शपथपत्र के अनुलग्नक संख्या 11 के रूप में दाखिल दस्तावेजों पर भरोसा किया, जिनसे संकेत मिलता है कि विधिक अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रियदर्शिनी, प्रबंधक/अधिकारी (ऋण अनुभाग) द्वारा जारी किया गया था। उन्होंने आगे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत किया कि उक्त दस्तावेज में स्वत्व संबंधी जांच, भार-मुक्ति प्रमाण-पत्र तथा अधिवक्ता का प्रमाण-पत्र दिनांक 06.12.2016 को श्री दिनेश कुमार शर्मा से प्राप्त किया गया था, संपत्ति का मूल्यांकन आर.सी. जैन एंड एसोसिएट्स द्वारा दिनांक 06.01.2017 को किया गया था तथा संपत्ति का व्यक्तिगत भौतिक सत्यापन आर.एन. मिश्रा द्वारा दिनांक 07.12.2016 को किया गया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि संपूर्ण सामग्री से संकेत मिलता है कि ऋण आर.सी. जैन द्वारा दिनांक 06.01.2017 को किए गए मूल्यांकन के पश्चात स्वीकृत किया गया था। आवेदक का शाखा से स्थानांतरण दिनांक 26.12.2016 को हो गया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि अन्यथा भी, ऋण से संबंधित ऋण-प्रकरण तथा सभी दस्तावेजों का कार्य अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया था, न कि आवेदक द्वारा। उक्त दस्तावेज पर भरोसा करते हुए विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि ऋण की स्वीकृति अथवा विवादित संपत्ति के सत्यापन में आवेदक की कोई भूमिका नहीं थी। आवेदक के पांच मामलों के आपराधिक इतिहास को शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 5 में स्पष्ट किया गया है, जिनमें से तीन मामलों में उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक जांच एवं विचारण के दौरान सहयोग करने तथा जांच अधिकारी या संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित हो, उपस्थित होने का वचन देता है। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, जांच में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया, तथापि उन्होंने तथ्यों के संबंध में विवाद नहीं किया।

6. मैंने दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य, (2020) 5

एस सी सी 1 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, जांच की दिशा को प्रभावित करने अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को भयभीत करना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से बचकर भागने की संभावना, जैसे देश छोड़कर जाने की संभावना आदि पर विचार करना होता है। आगे यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को दी गई भूमिका तथा मामले के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान करना अथवा न करना न्यायालय के विवेक का विषय है।

8. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च कोर्ट केसेस 676 में माननीय

उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक आदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है, जब अभिरक्षात्मक जांच आवश्यक हो अथवा अपराध जघन्य हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की संभावना हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं हो जाता कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व तथा उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी को नियमित बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि जांच अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा या समन का पालन नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करेगा और उसने वास्तव में पूरी जांच के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

9. अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधि के सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।

10. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

(i) आवेदक-सैयद तारिक हसन की गिरफ्तारी की स्थिति में, जो उपर्युक्त मामले में संलिप्त है, उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करेगा।

(ii) आवेदक जांच के दौरान जांच अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा जांच के संचालन के उद्देश्य से जब भी आवश्यक हो, जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; तथा

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/जांच अधिकारी/प्रथम सूचनादाता-शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

05 अगस्त, 2026

राधिका